न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 34/2021 आवेदन

महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

1. इन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह
3. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह
4. चांद कंवर पुत्री भंवरसिंह
5. संजू कंवर पुत्री भंवरसिंह
6. तारा कंवर पुत्री भंवरसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़।
7. राज्य सरकार जरियेः– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत् रिकार्ड रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक– 02.09.2024

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.1100 हैक्टेयर तन भगतपुरा पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के पिता का नाम भंवरसिंह पुत्र लालसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के स्थान पर रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर भंवरसिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये जावे।

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ से पत्र कमांक भू0अ0/24/2150 दिनांक 29.05.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया की मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर आदेश किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। विधिक प्रावधानों पर सगौर मनन किया गया। धारा 136 के तहत लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्ध करने का प्रावधान है, हालांकि वर्तमान प्रकरण में न तो प्रार्थना पत्र में यह अंकित है कि उक्त लिपिकिय त्रुटि कब व किससे हुयी व न ही तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह स्पष्ट आया है कि उक्त शुद्धि जो प्रार्थी चाहता है वह लिपिकिय त्रुटि से उत्पन्न हुई हो। उक्त नाम तो प्रथम जमाबंदी से ही दर्ज है। अतः धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अनुसार कोई लिपिकिय त्रुटि नहीं पायी जाती है।

अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ